कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख–2 / सी.सी.बी. / 132 / 2022 / 2040 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06 / 06 / 2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– बैंक की शाखा निपानी में किसानों के खातों में हुए गबन प्रकरण में कार्यवाही बाबत्।

संदर्भ :– 01. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग संभाग, दुर्ग का पत्र क्र / 439 दिनांक 20.04.2022

02. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग का पत्र क्र / प्रशा / 95, दुर्ग, दिनांक 13.04.2022

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग की शाखा निपानी में हुए गबन प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :–

01. बैंक की किसी एक शाखा का तत्काल विस्तृत निरीक्षण स्वयं करें। नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गबन / धोखाधडी रोकने हेतु जारी दिशा–निर्देशों, आंतरिक जाँच एवं नियंत्रण प्रणाली मजबूत करने संबंधी निर्देशों का अनुपालन हो तथा नाबार्ड द्वारा विगत निरीक्षण में उठाए गए आपत्ति–सुझाव पर समुचित कार्यवाही किया जावे।
02. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग से बैंक के कार्यक्षेत्र के समस्त जिलों की एक–एक शाखा का विशेष अंकेक्षण कराने की कार्यवाही किया जावे ताकि गबन / धोखाधडी प्रकरणों पर रोक लगाया जा सके।
03. गबन / धोखाधडी रोकने बाबत् नाबार्ड के परिपत्रों के तहत मानव संसाधन नीति, सेवायुक्तों के आवधिक रोटेशन एवं स्थान परिवर्तन बाबत दिशा–निर्देशों का बैंक द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किया जावे।
04. बैंक शाखा निपानी में हुए गबन के लिए पर्यवेक्षण का अभाव, निरीक्षण की प्रभावशीलता, अंकेक्षण में त्रुटि, कर्मचारियों की पदस्थापना आदि में से कौन से कारण जवाबदार हैं। कारणों का पता लगाकर रोकथाम के लिए कदम उठाया जावे।
05. विगत वर्षो में बैंक के सतत् व सांविधिक अंकेक्षण में उक्त गबन संज्ञान में नहीं आये हैं। अतः सतत एवं सांविधिक अंकेक्षण कार्यों की गुणवत्ता एवं उनके द्वारा की गयी चूक के संबंध में चार्टेड अकाउन्टेंट व संबंधित अंकेक्षकों से प्रतिवेदन लिया जाकर अभिमत सहित संयुक्त पंजीयक के माध्यम से प्रेषित किया जावे।

06. प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, संबंधित दोषी सेवायुक्तों, उक्त अवधि में अन्तरशाखा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों तथा सांविधिक अंकेक्षकों के विरूध्द तत्काल समुचित वैधानिक, प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

07. शाखा निपानी में गबन प्रकरण के संबंध में प्रभावित खाताधारकों को राशि भुगतान बाबत मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि बैंक द्वारा धारित राशि उसके अंशधारी सदस्यों, अमानतधारियों की स्वत्व की सम्पत्ति होती है तथा बैंकिंग संबंधी कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेन्स अंतर्गत किया जाता है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा वित्तदायी बैंक के मार्गदर्शन में नियमों, दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की कंड़िका 03 में दिए गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में समुचित कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करावें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

पृक्र / साख–2 / सी.सी.बी. / 132 / 2022 / 2040 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06 / 06 / 2022

प्रतिलिपि :–

01. प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित नवा रायपुर, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं का औचक विस्तृत निरीक्षण करने बाबत कैलेण्डर तैयार कर, निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चत करें, ताकि गबन की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके तथा अल्पकालीन कृषि साख सहकारी संरचना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का व्यापक हित सुनिश्चित करने बाबत अन्य आवश्यक यथोचित दिशा–निर्देश विषयांतर्गत जारी करे।
02. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग की ओर प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में उत्तरदायित्व नियत करते हुए समुचित कार्यवाही कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।
03. संभागीय संयुक्त पंजीयक समस्त छग की ओर प्रेषित कर लेख है कि बैंकों में उक्तानुसार गबन,"धोखाधडी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु बैंक की 3 से 4 शाखाओं का निरीक्षण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा (60) के तहत तथा यथावश्यक विशेष अंकेक्षण अनिवार्य रुप से समय–सीमा में कराया जावे तथा प्रत्येक माह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में गबन, धोखाधड़ी संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समुचित कार्यवाही सुनिश्चत करावें।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ